प्रेस नोट

दिनांक- 09.11.2023

- **अपराध नियंत्रण व अवैध शस्त्र बरामदगी अभियान की दिशा में कानपुर देहात पुलिस द्वारा की गयी कड़ी कार्यवाही।**
- **थाना मंगलपुर पुलिस की कार्यवाही से 01 नफर अभियुक्त को मय 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर, जोन कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक कानपुर, रेन्ज कानपुर, श्री प्रशान्त कुमार के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक जनपद कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण व अवैध शस्त्र बरामदगी की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना मंगलपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर 01 नफर अभियुक्त आशू खां उर्फ सलाम उर्फ गाठी पुत्र रहीसुल निवासी मंगलपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात को मंगलपुर तिराहे से डेरापुर जाने वाली सड़क से मय 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त आशू खां उर्फ सलाम उर्फ गाठी उपरोक्त के विरुध्द थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 322/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आशू खां उर्फ सलाम उर्फ गाठी पुत्र रहीसुल निवासी मंगलपुर थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात

बरामदगी-

1. 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-412/2011 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
2.मु0अ0सं0-659/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
3.मु0अ0सं0-280/2015 धारा 147/341/353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
4.मु0अ0सं0-216/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात
5.मु0अ0सं0-322/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 डोरीलाल थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
2. हे0का0 120 अशोक कुमार थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात।
3. हे0का0 657 शिवपाल सिंह भदौरिया थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात